International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 19-06-2022, Accepted: 05-07-2022, Published: 21-07-2022
Volume 8, Issue 4, 2022, Page No. 39-42

कृषि उपज मण्डी समितियों का कृषकों के आर्थिक विकास में योगदान–मण्डला जिला के विषेष संदर्भ में

राज कुमार सोनवानी
शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को अधिक उन्नत और विकसित रूप में देखना है तो यह आवश्यक है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके तभी वे अधिक मात्रा में कृषि उपज का उत्पादन करने और कृषि की उन्नत स्थिति को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। किसानों को उनके कृषि उपज का उचित मूल्य तभी प्राप्त होगा जबकि एक कुषल कृषि विपणन प्रणाली विद्यमान हो। इसके लिए यह आवष्यक है कि कृषि उपज मण्डी समितियों का विकास किया जाए एवं उनमें व्याप्त कुरूतियों, गैर कानूनी कटौतियों को समाप्त कर कृषि विपणन को सुविधाजनक बनाया जाये।

मूल शब्दः कृषि विपणन प्रणाली, कृषि उपज मण्डी समिति, आर्थिक विकास

प्रस्तावना
प्राचीन काल में कृषि उपज का उत्पादन केवल जीवन–यापन के लिए ही किया जाता था। पारिवारिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के कम उत्पादन होने या न होने की दशा में लोग एक–दूसरे से वस्तु विनिमय करके उनकी कमी की पूर्ति करते थे। उस समय कृषकों के समक्ष कृषि उत्पाद के विपणन की समस्याएँ नहीं थी। धीरे–धीरे तकनीकी विकास के कारण कृषि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने एवं शहरीकरण के कारण खाद्यान्नों के विपणन में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुई, जिनमें से कृषकों के लिए अतिरेक उत्पादन के विक्रय एवं उपभोक्ताओं के लिए उचित कीमत पर आवष्यक खाद्यान्न की मात्रा की उपलब्धता की समस्या प्रमुख थीं। इन समस्याओं ने ही कृषि विपणन को जन्म दिया।
वर्तमान में कृषि उपज का उत्पादन केवल उपभोग के लिए ही नहीं वरन् विपणन के लिए भी किया जाता है। व्यापक पैमाने पर कृषि उपज का उत्पादन किए जाने के कारण विपणन का क्षेत्र राष्ट्रीय से अन्तराष्ट्रीय हो गया है। वर्तमान उदारीकरण एवं वैष्वीकरण के युग में भी अर्थव्यवस्था का एक पहलू उत्पादन है तो दूसरा पहलू उसका विपणन है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि उपज के विपणन का भी उतना ही महत्व है जितना उसके उत्पादन का क्योंकि भारतीय कृषि का स्वरूप आर्थिक विकास के साथ–साथ बदलता जा रहा है। अतः वर्तमान में समस्या कृषि उपज के उत्पादन का नहीं बल्कि उनके विपणन का है।
कृषि विपणन उन सभी क्रियाओं व सेवाओं की ओर संकेत करता है, जिनका संबंध कृषि उत्पादों को प्रथम उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाना होता है। कृषि विपणन द्वारा उत्पादों की उपयोगिता में वृद्धि होती है।
एक उपयुक्त विपणन प्रणाली के ज्ञान से उद्योगों को कच्चा कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है तथा उत्पादों के निर्यात में वृद्धि की जा सकती है। उपयुक्त कृषि विपणन प्रणाली कृषि उत्पादकों को उपभोक्ताओं की आवश्यकतानुसार उत्पादन की प्रेरणा देती है।
मध्य प्रदेश में कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं उनको विपणन की बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने में मण्डी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में मध्य प्रदेश 359 कृषि उपज मण्डी समितियाँ एवं 259 उप मण्डियाँ कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं उनको विपणन की बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन कृषि उपज मण्डी समितियों में से मण्डला जिले में 03 कृषि उपज मण्डी समिति एवं 04 उप मण्डियाँ संचालित हैं। इन कृषि उपजे मण्डी समितियों के मुख्य कर्तव्य कृषि उपज के क्रेता–विक्रेता के बीच न्यायसंगत व्यवहार सुनिष्चित करना, बिक्री योग्य कृषि उपज का वर्गीकरण तथा निलामी द्वारा बिक्री कराना, क्रेता–विक्रेता के लिए सूचनाओं का संकलन, विक्रय की गई कृषि उपज का मीट्रिक प्रणाली द्वारा सहीं माप की व्यवस्था कर उसी दिन भुगतान कराना, जिस दिन उस उपज का विक्रय किया गया है एवं क्रेता–विक्रेता के मध्य विवाद निपटाना आदि है।

शोध साहित्यों का पुनरावलोकन
वास्केल, मोहसिंह (2014)
इन्होंने अपने शोध प्रबंध "कृषि उपज मण्डी समिति की कार्यप्रणाली के प्रति कृषकों की संतुष्टि का अध्ययन" में वर्णन किया है कि मण्डी के अंतर्गत केवल प्राधिकृत व्यक्ति ही क्रय–विक्रय कर सकते हैं और उन पर वे सभी नियम एवं उपनियम बंधनकारी होते हैं, जो उस क्षेत्र की मण्डी समिति द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जाते हैं।

जैन, राजेष (2016)
इन्होंने अपने शोध प्रबंध "मध्य प्रदेष की कृषि उपज मण्डियों का कृषकों की आर्थिक उन्नति में योगदान–इन्दौर संभाग के विषेष संदर्भ में (2001 से 2010 तक)" में उल्लेख किया है कि इन्दौर संभाग की कृषि उपज मण्डियों के द्वारा कृषि उपजों की विपणन प्रक्रिया में लगातार सुधार किया गया, जिससे कृषि उपजों के विपणन मात्रा में वृद्धि हुई। संभाग के कृषि

उपज मण्डियों में विक्रय के लिए आने वाली प्रमुख फसलें अनाज, दलहन व कपास रही। संभाग की मण्डियों में विक्रय के लिए न आने वाली कृषि उपजों के मुख्य कारण उपज का निजी उपयोग, कम मात्रा में उत्पादन, यातायात के साधनों का अभाव, सीधे बाजार में विक्रय, ऋण के बदले उपज का हस्तांतरण, अषिक्षा, गरीबी व अन्य कारण रहे हैं।

गुप्ता, षिल्पा (2020)

आपने अपने शोध प्रबंध "रीवा जिले में कृषि उपज की विपणन व्यवस्था–एक अध्ययन" में यह व्यक्त किया है कि रीवा जिले में खाद्यान्न एवं गैर खाद्यान्न दोनों कृषि उपजों को अधिकांष कृषक मण्डी में विक्रय हेतु लाते हैं और जो भाग विक्रय हेतु मण्डी में नहीं लाया जाता है, इसका सर्वाधिक प्रयोग कृषक बीज एवं वस्तु विनिमय के लिए करते हैं। रीवा जिले की मण्डियों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि हुई है। कृषि उपज मण्डी में विकृय करने वाले कृषकों की संख्या में भी वृध्दि हुई है। अधिकांष कृषक एवं व्यापारी कृषि उपज मण्डी की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं। कृषकों को अभी भी मध्यस्थों से मुक्ति नहीं मिली है।

शोध के उद्देष्य

1. इसका उद्देष्य निम्नलिखित हैं –
2. मण्डला जिले में कृषि विपणन प्रणाली का अध्ययन।
3. मण्डला जिले में कृषि विपणन प्रणाली का कृषको के आर्थिक विकास के योगदान का अध्ययन।
4. मण्डला जिले के कृषकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना।
5. कृषि उपज मण्डी समितियों की व्यवस्था को मजबूत करना।

परिकल्पना

प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित परिकल्पनाएँ हैं –

1. कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण में विक्रय करने से कृषकों को प्रतिष्पर्धात्मक मूल्य की प्राप्ति होती है।
2. किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में बाजार केन्द्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती

शोध प्रविधि

अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दानों प्रकार के आंकडों का उपयोग किया गया है। इन आंकड़ों का संकलन कर उनका सारणीयन एवं विष्लेषण किया गया है।

मण्डला जिले में कृषि विपणन का स्वरूप

1. **गाँवों में विक्रय –** मण्डला जिले में किसान अपनी उपज का बहुत बड़ा भाग अपने गाँव में ही महाजनों, व्यापारियों या सीधे उपभोक्ता कर देता है या तो सीधे उपभोक्ता को विक्रय कर देता है। सामान्यतया किसान अपने गाँव के महाजन एवं व्यापारियों से पैसे उधार लेते हैं। उधारी के कारण किसान अपनी उपज को इन महाजनों एवं व्यापारियों कों विक्रय करने के लिए मजबूर रहते हैं। यह वर्ग किसानों के कृषि उपज को कम मूल्य पर खरीदकर उनका शोषण करता है।
2. **हाट–बाजार में विक्रय** – प्रायः मण्डला जिले में 10 से 15 किलोमीटर के मध्य किसी बड़े गाँव में सप्ताह में एक बार हाट–बाजार लगाए जाते हैं। इन हाट–बाजारों में कृषक अपनी उपज को फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी या सीध उपभोक्ताओं को विक्रय करते हैं। उपभोक्ता अपनी आवष्यकतानुसार हाट–बाजारों में कृषकों से खाद्यान्न को क्रय करता है। हाट–बाजारों में क्रताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण कृषि उपज के मूल्य का निर्धारण क्रेताओं द्वारा ही किया जाता है। इसलिए वे कृषकों से उनके कृषि उपज को कम मूल्य पर खरीदते हैं। इस प्रकार कृषकों द्वारा अपनी कृषि उपज को हाट–बाजारों में विक्रय करने पर भी उनका शोषण ही होता है।

तालिका 1: मण्डला जिले के हाट–बाजार

क्रमांक	मण्डी समिति का नाम	संख्या
1	कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला	12
2	कृषि उपज मण्डी समिति, बिछिया	22
3	कृषि उपज मण्डी समिति, नैनपुर	17
योग		51

स्रोत – 1. कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला
2. कृषि उपज मण्डी समिति, बिछिया
3. कृषि उपज मण्डी समिति, नैनपुर

3. **सहकारी विपणन –** मण्डला जिले में कृषकों को मध्यस्थों के शोषण से मुक्ति दिलाने एवं उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए सहकारी विपणन व्यवस्था भी है। ये सहकारी समितियाँ अपने सदस्य कृषकों के छोटे–छोटे विपणन अतिरेक को उचित मूल्य पर क्रय करती है। क्रय की गई कृषि उपज को मण्डी समितियों में थोक व्यापारियों को प्रतिष्पर्धात्मक मूल्य पर बेचती हैं। जिसमे सभी सदस्य कृषकों का अंष होता है। इस प्रकार सहकारी समितियाँ अपने सदस्य कृषकों शोषण से रक्षा करता है।

तालिका 2: मण्डला जिले के कृषि उपज मण्डी समितियों में पंजीकृत सहकारी समितियाँ

क्रमांक	मण्डी समिति का नाम	संख्या
1	कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला	11
2	कृषि उपज मण्डी समिति, बिछिया	02
3	कृषि उपज मण्डी समिति, नैनपुर	0
योग		13

स्रोत – 1. कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला
2. कृषि उपज मण्डी समिति, बिछिया
3. कृषि उपज मण्डी समिति, नैनपुर

4. **सरकार द्वारा क्रय –** केन्द्रीय व राज्य सरकारें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषकों से उनके कृषि उपजों को सीधे क्रय करती हैं। इससे कृषि उपज मण्डी समितियों में कृषि उपजों के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं गिर पाते और कृषकों को उनके उपज का उचित मूल्य भी प्राप्त हो जाता है। सरकार यह खरीदी भारतीय खाद्य निगम एवं सहकारी समितियों के माध्यम से करती है। सरकार प्रायः गेहूँ एवं धान आदि का बड़ी मात्रा में क्रय करती है।

तालिका 3: न्यूनतम समर्थन मूल्य

क.	कृषि उपज	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपये में)			
		2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
1	धान	1550	1750	1815	1868
2	गेहूँ	1735	1840	1925	1975

स्रोत & https://agricoop.nic.in/sites/default/files/MSP%20%28Hindi%29_0.pdf

5. **कृषि उपज मण्डी समितियों में विक्रय:** मण्डला जिले में कृषि उपज के विपणन में कृषि उपज मण्डी समितियों को महत्वपर्ण योगदान है। इस समिति में कृषकों एवं व्यापारियों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। कृषि उपज मण्डी समिति कृषकों के कृषि उपज को खुली निलामी पद्धति द्वारा विक्रय करवाता है। इस पद्धति में कृषकों के कृषि उपज का बोली कम से कम सहायक उप निरीक्षक स्तर का कर्मचारी लगाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से बोली की प्रारंभ की जाती है और अंतिम अधिकतम बोली पर कृषि उपज का विक्रय किया जाता है। कृषि उपज मण्डी समितियों में व्यापारियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण बोली भी काफी उच्च भाव पर समाप्त होती है। इस प्रकार कृषकों को अपनी कृषि उपज का विक्रय कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से करने पर प्रतिष्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त होता है और इसका भुगतान उसी दिन व्यापारी द्वारा किसान को कर दिया जाता है जिस दिन कृषि उपज का विक्रय किया गया हो। उसी दिन भुगतान नहीं किये जाने की दषा में प्रति दिवस 1 प्रतिषत की दर से अधिकतम 5 दिवस तक कृषि उपज के मूल्य का मय ब्याज भुगतान करना पड़ता है। यदि व्यापारी अधिकतम 5 दिवस की अवधि तक में किसान को उसके कृषि उपज के मूल्य का मय ब्याज भुगतान नहीं करता तो 5वे दिन के बाद उस व्यापारी की अनुज्ञप्ति स्वमेव निरस्त हो जाता है। कृषि उपज मण्डी समिति के कृत्यकारी मण्डी समिति के अनुज्ञप्तिधारी होते हैं। कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण में कृषि विपणन उसके देख–रेख में होता है। इसलिए कृषि उपज का विक्रय कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण में करने पर कृषकों का शोषण नहीं होता है।

तालिका 4: मण्डला जिले के कृषि उपज मण्डी समितियों में पंजीकृत व्यापारी

क्रमांक	मण्डी समिति का नाम	संख्या
1	कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला	192
2	कृषि उपज मण्डी समिति, बिछिया	78
3	कृषि उपज मण्डी समिति, नैनपुर	44
योग		314

स्रोत –1. कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला
2. कृषि उपज मण्डी समिति, बिछिया
3. कृषि उपज मण्डी समिति, नैनपुर

तालिका 5: मण्डला जिले के कृषि उपज मण्डी समितियों में उच्चतम भाव (रूपये में)

क.	कृषि उपज	वर्ष				
		2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
1	धान	1410	1550	1750	1900	1886
2	गेहूँ	1525	1750	1800	2200	1925
3	चना	7000	5000	3500	4600	4510
4	मसूर	5900	3500	4300	4475	5501
5	बटरी	4000	2500	3500	4700	5005
6	सरसों	4000	3500	4200	4575	5300

स्रोत – कृषि उपज मण्डी समित, मण्डला

निष्कर्ष

कृषकों द्वारा अपनी कृषि उपज को विक्रय गाँवों एवं हाट बाजारों में विक्रय करने पर उन्हें उचित मूल्य तक प्राप्त नहीं हो पाता है। उनका किसी न किसी प्रकार से शोषण अवष्य होता है। सहकारी समिति एवं सरकार द्वारा क्रय करने पर कृषकों को उनके उपज का उचित मूल्य की प्राप्ति होती है लेकिन प्रतिष्पर्धात्मक मूल्य की नहीं। लेकिन कृषि उपज मण्डी समिति में विक्रय करने पर कृषकों को प्रतिष्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त होता है एवं शोषण मुक्त होता है।

संदर्भ सूची

1. वास्केल, मोहनसिंह. (2014) कृषि उपज मण्डी समिति की कार्यप्रणाली के प्रति कृषकों की संतुष्टि का अध्ययन, पीएच. डी. शोध प्रबंध, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन.
2. जैन, राजेष. (2016). मध्यप्रदेष की कृषि उपज मण्डियों का कृषकों की आर्थिक उन्नति में योगदान–इन्दौर संभाग के विषेष संदर्भ में (2001 से 2010 तक), पीएच.डी. शोध प्रबंध, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.
3. गुप्ता, शिल्पा. (2020). रीवा जिले में कृषि उपज की विपणन व्यवस्था–एक अध्ययन, पीएच.डी. शोध प्रबंध, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.).
4. मिश्र, जय प्रकाष. (2021). कृषि अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेषन्सः आगरा.
5. जैन, एस.सी. (2020). ग्रामीण एवं कृषि विपणन, कैलाश पुस्तक सदनः भोपाल.
6. गोयल, के.एल. एवं गोयल, तृप्ति. (2020). राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमीः जयपुर
7. सिंह, प्रदीप कुमार एवं सिंह, राकेश कुमार. (2018). भारतीय कृषि, बायोसाइंटिफिक पब्लीशर्सः न्यू दिल्ली
8. यादव, सुबह सिहं. (1995). कृषि विपणन, सबलाइम पब्लिकेशन्सः जयपुर